

कार्यालय जिला कलेक्टर, भरतपुर
अपील/आरटीआई/77/2025

श्री दिनेश चन्द शर्मा निवासी मधुर कम्प्यूटर के पास अनाह गेट बजरिया,
भरतपुर मो0 नं0 9828734724

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर
...रेसपो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 21.11.2025

अपीलार्थी श्री दिनेश चन्द शर्मा निवासी मधुर कम्प्यूटर के पास अनाह गेट बजरिया, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। चाही गई सूचना राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/915 दिनांक 03.11.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक राजस्व/आर.टी.आई./12/12()2025/7834 दिनांक 20.11.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से 3 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी, इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 20.11.2025 का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही बिन्दु सं0 1 व 3 की सूचना प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट भरतपुर एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना आयुक्त नगर निगम भरतपुर

.....2



जिला कलेक्टर
भरतपुर

(2) अपील/आरटीआई/77/2025
दिनेश चन्द शर्मा बनाम लो.सू.अ. प्रगारी अधि. राजस्व अनु०

से सम्बन्धित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 5471-72 दिनांक 04.09.2025 से सम्बन्धित प्रार्थी को सीधे ही सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा जा चुका है साथ ही पत्रांक 5473-74 दिनांक 04.09.2025 से प्रार्थी को भी अवगत कराया जा चुका है।

प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के उक्त जबाब से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला अभिलेखागार एवं आयुक्त नगर निगम भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आर.टी.आई./12/12()2025/5471-72 दिनांक 04.09.2025 से सम्बन्धित प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै० भरतपुर एवं आयुक्त नगर निगम भरतपुर को लिखा गया है। इससे जाहिर है कि चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के स्तर पर लम्बित ना होकर प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर एवं आयुक्त नगर निगम भरतपुर के स्तर पर लम्बित है।

अतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर एवं आयुक्त, नगर निगम भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचना अन्दर 15 दिवस उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित हो, साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर/प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलैक्ट्रेट भरतपुर एवं आयुक्त नगर निगम भरतपुर को पालानार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर